Amendment in Rules

भाग III

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अक्तूबर, 2008

संख्या सा० का० नि० 33/संवि०/अनु० 309/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, विद्यमान खण्ड (क) को उसके खण्ड (कक) के रूप में पुन: सांख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुन: सांख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "समवर्गी सेवाओं" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं तथा अन्य सामूहिक सेवाएं/संयुक्त सेवाएं परीक्षा अधिनियम, 2002 (2002 का 4) में यथा परिभाषित सेवाएं।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 8 में, खण्ड (ग) में, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) में, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के लिए प्रतियोगी परीक्षा" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, अनुबन्ध III में, क्रम संख्या 1 के सामने, खाना 3 के नीचे, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धर्मवीर,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

Amendment in Rules

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PERSONNEL DEPARTMENT

Notification

The 22nd October, 2008

No. G.S.R. 33/Const./Art. 309/2008.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Civil Service (Executive Branch) Amendment Rules, 2008.

2. In the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, (hereinafter called the said rules), in Rule 2, existing clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before clause (aa) so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

> "(a) "Allied Services" means Services as defined in the Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination Act, 2002 (4 of 2002).".

3. In the said rules, in rule 8, in clause (c), for the words and brackets "competitive examination for the post of Haryana Civil Services (Executive Branch)", the words and brackets "competitive examination for the post of Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), for the words and brackets "competitive examination for the post of Haryana Civil Service (Executive Branch)", the words and brackets "competitive examination for the post of Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services" shall be substituted.

5. In the said rules, in Annexure III, against serial number 1 under column 3, for the words and brackets "Haryana Civil Service (Executive Branch)", the words and brackets "Haryana Civil Service (Executive Branch) and Allied Services" shall be substituted.

DHARAM VIR,

Chief Secretary to Government Haryana.

44927—L.R.—H.G.P., Chd.